न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 41/2003/223 आर टी ए

धोकलराम पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।

––अपीलांट

बनाम

1. वन विभाग राजस्थान सरकार जरिये डी.एफ.ओ. हनुमानगढ़।
2. वन विभाग राजस्थान सरकार जरिये रेंजर नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2003 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नोहर प्र0सं0 98/1994 अनवानी धोकलराम बनाम वनविभाग आदि

उपस्थित :–

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–24.11.2017

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आरटीए पेश कर विवादित भूमि पर प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर खातेदार घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर अपीलांट का वाद खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व सबूत पर कोई गौर नही किया है तथा निर्णय व डिक्री नियम विरूद्ध पारित की गई। वादी ने अपनी तनकीयात को बखूबी साबित किया था तथा विवादित भूमि सम्वत 2012 से पहले से वादी के पिता व उसके बाद वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा वह खातेदार काश्तकार हो चुका है। विचारण न्यायालय ने उसे खातेदार काश्तकार न मानकर कानूनी गलती की है। प्रतिवादीगण ने अपनी तनकी सं. 4 को किसी प्रकार दस्तावेजी व जबानी

साक्ष्य से साबित नही किया था तथा न ही विवादित भूमि कभी जोहड पायतन रही तथा न ही कभी वन विभाग के उपयोग मे आई व न कभी पेड़ पौधे लगाये गये। उक्त भूमि पर हमेशा काश्त होती रही है। वादी की तरफ से सारी गिरदावरीयां पेश की गई तथा ढ़ाल बाछ पेश थी फिर विचारण न्यायालय ने तनकी सं. 4 का फैसला प्रतिवादीगण के पक्ष मे कर कानूनी भूल की है। विवादित भूमि 30 साल से ज्यादा अर्से से वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है तथा वह प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार हो चुका है तथा वादी एक गरीब काश्तकार है तथा उसके परिवार के जीवन यापन का साधन यह आराजी जरई है तथा राज्य सरकार के आदेशो के अनुसार वादी को उक्त भूमि का नियमन कर खातेदारी अधिकार प्रदान करने चाहिये थे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त की जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि जोहड़ पायतन की है। वर्तमान मे वन विभाग के नाम दर्ज है। विवादित भूमि पर अपीलांट का बतौर अतिक्रकमी कब्जा था व अपीलांट का लगातार कब्जा काश्त भी स्वीकार नही है। गोचर व वन विभाग की भूमि पर पर प्रतिकूल धारण के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को वन विभाग की मानकर तथा वादी द्वारा वन विभाग की भूमि पर एक अतिक्रमी की हैसियत से काश्त करना मानते हुए वाद वादी खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया कि वादग्रस्त भूमि जोहड़ पायतन की थी, पर वादी ने नाजायज काश्त की थी जिसका कब्जा सम्वत 2018 मे छोड़ दिया था, का नोट अंकित है। उक्त जोहड़ पायतन भूमि वर्तमान मे वन विभाग के नाम दर्ज है और कब्जा भी इन्ही के पास है। वादी वाद की आड़ मे उस पर नाजायज रूप से कब्जा करना प्रतीत होता है। वादी वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार का टिनेन्ट नही है और न ही किसी प्रकार का हक हिस्सा व कब्जा है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि का किसी प्रकार टिनेन्ट नही होने तथा वाद वादी साबित नही होने से खारिज किया गया है। उपरोक्त

प्रतिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि जो जोहड़ पायतन भूमि दर्ज थी जो वन विभाग को आवंटित की गई और वर्तमान मे वन विभाग के नाम दर्ज है जिस वादी केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से भूमि पर काबिज है इसलिए वादपत्र मे प्रतिकूल धारण के आधार पर कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए तनकीवार अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे बिना किसी औचित्य एवं त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11.03.2003 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ